लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक १ फरवरी, १९९५

को

कार्य-सूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक फरवरी 9, 1995 में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची ।

=x=x=x=x=x=

विषय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	01
2	सिन्डर्स डम्प आलमबाग़ में अर्न्तजिला बस टरमिनल के निर्माण से सम्बन्धित।	12
3	श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल एवं श्री हर प्रसाद अग्रवाल को अलीगंज योजना में आवन्टित भूखण्ड संख्या डी-104/पी सेक्टर "पी" के स्थान पर गोमती नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में ।	15
4.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।	

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

x=x=x=x=x=x=x=

==*=

x

विषय संख्या: 1 पृष्ठ संख्या: 1

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

=x=x=x=x=

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक 29 दिसम्बर, 1994 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 1994

का कार्यवृत्त

उपस्थितः

1.	श्री प्रीतम सिंह	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2.	श्री विजय शर्मा	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
3.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4.	श्री राजीव खेर	ज़िलाधिकारी, लखनऊ।
5.	श्री पी0 के0 झा	विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, आवास विभाग।
6.	श्री बी0के0सिंह यादव	मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम।
7.	श्री यू0सी0दास	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
8.	श्री पी0के0पाण्डे	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9.	श्री एस0के0वर्मा	मुख्य अभियन्ता,आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।

अन्य उपस्थितः

श्री एम-ए-एखान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा अध्यक्ष महोदय को बधाई दी गई तथा अन्य उपस्थित सदस्यो का परिचय अध्यक्ष महोदय से कराया गया।

विषय संख्याः 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 1994 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णयः — दिनांक 18 जुलाई, 1994 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्याः 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 1994 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — {1} दिनांक 21 जनवरी, 94 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि नैपियर रोड कालोनी में डा0 अतुल खन्ना को आवन्टित भूखण्ड पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को शीघ्र हटाये जाने की कार्यवाही की जाये।

{2} अलीगंज योजना में हाई-टेन्शन लाइन से आच्छादित भूखण्डों को अन्यत्र समायोजित करने हेतु शीघ्र ले-आउट तैयार कराया जाये।

(3) दिनांक 15 अप्रैल, 1993 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि कल्विन कालेज के पीछे की योजना की वायबिल्टी विलम्बत दो माह अन्दर निकाल ली जाये एवं विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये।

अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्याः 3 — आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव।

निर्णयः — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 10 प्रतिशत धनराशि जमा करा कर रजिस्ट्री से पूर्व जो आवंटन के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है, इसे तत्काल रोक दिया जाये तथा प्रस्ताव का गहन परीक्षण कराया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कोई आवन्टी अपनी सम्पत्ति को परिवर्तित कराना चाहता है तो उसे आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड एवं भवन के स्थान पर भवन ही परिवर्तित किये जाये। भवन से भूखण्ड अथवा भूखण्ड से भवन न परिवर्तित किया जाये।

विषय संख्याः 4 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय/व्यवसायिक निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अलोकप्रिय सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि छः माह के बाद प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया जाये।

विषय संख्याः 5 — हिन्दुस्तान टाइम्स के भूखण्ड संख्याः बी/1-25, अशोक मार्ग पर प्रिन्टिंग प्रेस एवं कार्यालय भवन हेतु साइड सेट बैक में छूट दिये जाने सम्बन्धी परिचालित प्रस्ताव।

निर्णय : — परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्याः 6 — इन्स्टीट्यूट आफ़ यूनानी मेडिसिन्स को अलीगंज योजना के सेक्टर "ओ" में ग्रीन-बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि वृक्षारोपण हेतु आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव को निरस्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस खुले क्षेत्र का उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्रयोग में नहीं किया जायेगा।

विषय संख्याः 7 — गोमती नगर योजना में ल0वि0प्रा0 के प्रस्तावित कार्यालय भवन का डिजाइन कार्य बाहरी वास्तुविदों से प्रतियोगिता के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि पाँच पुरस्कारों के स्थान पर प्रथम तीन पुरस्कार ही रखे जायें।

विषय संख्याः 8 — गोमती नगर योजना में गोल्फ कोर्स को विकसित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : योजना पर विचार विमर्श तथा जिन एजेन्सीज़/कम्पनीज़ के आफ़र प्राप्त हुए थे उनके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये प्रेजेन्टेशन के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधियों को प्रस्तावित भूमि का विवरण 3-4 दिनों में कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा और उनसे गोल्फ कोर्स से सम्बन्धित बनाई जा रही प्रस्तावित योजना का विवरण (कन्सेप्चुअल प्लान) 15 दिनों में प्राप्त कर लिया जाये। प्लान प्राप्त होने पर उन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञों की समिति के समक्ष रखा जाये।

विषय संख्याः 9 — गोमती नगर योजना में विपुल खण्ड में आवन्टित किये गये भूखण्डों के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्याः 10 — मोहल्ला गैंदखाना लखनऊ स्थित खसरा संख्याः 395, 396, 397, 398 का हरित पट्टी से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जिसमें मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 तथा आवास विकास परिषद के मुख्य अभियन्ता सदस्य होंगे। यह समिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त शासन को अपनी संस्तुति प्रेषित करेगी। इस समिति के संयोजक मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 होंगे।

विषय संख्याः 11 — प्रस्तावित श्रीराम व्यवसायिक केन्द्र, गौतम बुद्ध मार्ग लखनऊ के क्रियान्वयन से सम्बन्धित।

निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने में जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा दिये गये सराहनीय सहयोग की प्रशंसा की गई तथा निर्णय लिया गया कि वित्तीय आफ़र प्राप्त करने के साथ यह भी देख लिया जाये कि यदि लखनऊ विकास

प्राधिकरण स्वयं निर्माण कराकर निर्मित भवन की बिक्री करे अथवा भूमि को सीधे बेचे तो तीनों विकल्पों में किसमें अधिक वित्तीय लाभ होगा। इस विषय पर निर्णय हेतु अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें बोर्ड के निम्न सदस्य सम्मिलित किये गयेः

[1] उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण [2] ज़िलाधिकारी, लखनऊ
[3] विशेष सचिव, वित्त
समिति की संस्तुति के आधार पर इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्याः 12	विकसित/विकासशील क्षेत्रों के प्राप्त ग्रुप-हाउसिंग/व्यवसायिक आवासीय कार्यालय भवन के मानचित्रों पर आरोपित सुविधाओं के विस्तार हेतु सुदृढ़ीकरण विकास शुल्क के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विषय संख्याः 13	खसरा संख्याः 148, 149, 150, 151 आदि स्थित ग्राम आदिल नगर लखनऊ पर प्रस्तावित बस ट्रक टरमिनस को अन्यत्र स्थापित किये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्थल को बस/ट्रक टरमिनल से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड की संस्तुति शासन को भेज दी जाये तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इस आशय का पत्र लिखा जाये कि वह एक माह के अन्दर उक्त प्रयोजन हेतु वान्छित भूमि का विवरण उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजें।
विषय संख्याः 14	सहकारी आवास समितियों की भूमि के सम्बन्ध में ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 20·1·93 के अनु०वि०स०:2 में पारित प्रस्ताव की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विषय संख्याः 15	पेपर मिल योजना के अन्तर्गत आवन्टित व्यवसायिक भूखण्डों के आवन्टियों को अन्यत्र समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व आवन्टियों को अन्यत्र समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जितने क्षेत्रफल के भूखण्ड पूर्व में आवन्टित हैं अन्यत्र लगभग उतने ही क्षेत्रफल के भूखण्ड उपलब्ध कराये जायें। उक्त भूमि पर लम्बे समय से बसे व्यक्तियों को भू-उपयोग के अनुसार वर्तमान दर से भूमि का मूल्य जमा करा कर विनियोजित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

विषय संख्याः 16	उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, 6-कैपर रोड स्थित भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय से केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाये।
विषय संख्याः 17	स्कूल भूखण्डों के आवन्टन से सम्बन्धित।
निर्णय :	प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विषय संख्याः 18	वर्कचार्ज/दैनिक वेतन भोगी तक्नीकी कर्मचारियों को पी0डब्लू0डी0 शिड्युल के अनुरूप दरों में वृध्दि किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 24-10-89 का शासनादेश अभी भी लागू है और उसपर अब तक क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ था। प्रकरण पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया।
विषय संख्याः 19	दो पुराने वाहनों को कन्डम कर, उनके स्थान पर दो नये वाहन क्रय किये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि शासन की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये।
विषय संख्याः 20	प्राइवेट ट्रेवेल एजेन्सीज़ से वाहन किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव वापस लिया गया।
विषय संख्याः 21	लखनऊ नगर महापालिका में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों की भाँति भवनों के आवन्टन में सुविधा दिये जाने से सम्बन्धित।
निर्णयः	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय संख्याः 22	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत स्थित भूमि को अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी, लखनऊ, विशेष सचिव, आवास, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सदस्य होंगे। यह समिति अधिग्रहण हेतु भूमि का चयन करेगी। इस समिति के संयोजक उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० होंगे।
विषय संख्याः 23	रायबरेली राज्य मार्ग से डा० भीमराव अम्बेदकर विश्व विद्यालय की ओर 45 मीटर सड़क से अनाधिकृत अध्यासियों को दूसरे स्थान पर समायोजित किये जाने के सम्बन्द में।
निर्णय :	उपरोक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।
विषय संख्याः 24	ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत इन्डस्ट्रियल प्रयोजन हेतु दिये गये भूखण्ड संख्याः4 स्थित तालकटोरा रोड पर ग्रुप-हाउसिंग की अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय :	अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जिसमें सचिव, उ०प्र०शासन, आवास विभाग, उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०, मुख्य अभियन्ता, जलनिगम सदस्य होंगे। इस समिति को प्रकरण पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। इस समिति के संयोजक उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० होंगे।
विषय संख्याः 25	नजूल भूमि खसरा सं०: 151 भाग स्थित तेज बहादुर सप्रू मार्ग का भू-उपयोग कार्यालय से होटल हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्याः 26	गोमती नगर योजना में क्लब के निर्माण से सम्बन्धित।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव का इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि आवन्टित भूमि पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्मित क्षेत्र न रखा जाये।
विषय संख्याः 27	यू०पी०हार्ट-केयर फाउन्डेशन के निर्माण हेतु गोमती नगर योजना में भूमि आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव को इस शर्त पर अनुमोदित किया गया कि उक्त संस्था को

वाणिज्यिक दर पर भूमि आवंटित की जाये।

विषय संख्याः 28 — संशोधित महायोजना 2001 में चिन्हित बाजार मार्ग पर स्थित भूखण्डों के अन्तर्गत निर्माण विकास हेतु मार्ग दर्शक सिध्दान्त।

निर्णयः — विचारोपरान्त प्रस्ताव विस्तृत परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।

विषय संख्याः 29 — ब्रिज किशोरी गुप्ता, भूखण्ड संख्याः 126/31, बी०एन०रोड पर होटल की अनुमति से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पहले इस बात का परीक्षण करा लिया जाये कि होटल की अनुमति देने से उक्त क्षेत्र के ट्रैफिक तथा अन्य सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विषय संख्याः 30 — रायबरेली रोड स्थित ग्राम हैबतमऊ मवैया खसरा सं0ः 1415 पर प्रस्तावित विलेज रिजार्ट (होटल) के निर्माण हेतु अनुमति।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्याः 31 — महायोजना नगर केन्द्र हेतु आरक्षित क्षेत्र भू-आच्छादन एवं 'तलानुपात के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्याः 32 — भारतेन्दु नाट्य एकादमी के प्रस्तुत मानचित्र पर आरोपित अनिमार्ण (लेवी) शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्याः 33 — पांच वर्ष के पश्चात् मानचित्र स्वीकृत करते समय 2 प्रतिशत सरचार्ज की गणना क्रय मूल्य पर किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्याः 34	स्ववित्त घोषित भवनों में परिवर्तन शुल्क की गणना भूखण्ड के मूल्य पर किये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्याः 35	श्री ए०एम०खान, विशेष संवाददाता, प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया को किस्तों में भवन दिये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय :	प्रस्तुत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।
विषय संख्याः 36	नैपियर रोड, द्वारका नगर एवं अलीगंज योजना में आवन्टित भूखण्डों के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड दिये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्याः 37	सीतापुर रोड तथा कबीर हसन रोड पर आवन्टित भूखण्डों को गोमती नगर योजना में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विषय संख्याः 38	श्री विजय कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में भूखण्ड आवन्टन से सम्बन्धित।
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री विजय कुमार की अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की हैसियत से उपलब्धियों का विवरण प्राप्त कर लिया जाये।
विषय संख्याः 39	श्री अनिल सन्त, आई०ए०एस० को कानपुर रोड के स्थान पर विपुल खण्ड गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विषय संख्याः 40	श्री विजय शंकर राय को पुरानी लागत पर भवन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्याः 41	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 1994-95
निर्णय :	प्रस्तुत पुनरीक्षित बजट 1994-95 का अनुमोदन किया गया।

अनुपूरक विषय सं0: 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जा रहे वाहन भत्ते की दरों में वृध्दि किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त मोटर कार भत्ता रू0 600/-प्रतिमाह तथा मोटर साइकिल/स्कूटर भत्ता रू0 300/-प्रतिमास दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपूरक विषय सं0: 2 — गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में लोकल शाप्स निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया।

अनुपूरक विषय सं0: 3 — शासनादेश संख्याः 2275 क/11-7-1-के (100)/88, दिनांक 3-6-93 से उत्पन्न स्थिति पर विचार।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक विषय सं0: 4 — हरित पट्टी के रूप में छोड़ी गई भूमि को सुरक्षित रखने एवं अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क पट्टे पर दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि लाइसेन्स पर आवंटित हरित पट्टी के 50 प्रतिशत भाग से अधिक का नर्सरी के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण की आवश्यकता पर दस वर्ष तक पाँच वर्ष की नोटिस तदुपरान्त तीन वर्ष की नोटिस देकर भूमि वापस ली जा सकती है तथा अच्छी ख्याति/साख वाली संस्थाओं को ही भूमि दी जायेगी।

अनुपूरक विषय सं0: 5 — श्री ए0के0नारंग को गो0न0यो0 के अन्तर्गत आवन्टित भूखण्ड संख्या:2/181 विजय खण्ड के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक विषय सं0: 6 — प्राइवेट बिल्डर्स को लाइसेन्स के आधार पर आवंटित भूमि में ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण से सम्बन्धित।

निर्णय: प्रस्ताव वापस लिया गया।

अनुपूरक विषय स0: 7	नजूल भूमि खसरा स0:145[भाग] भूखण्ड स0: 2 स्थित मोहल्ला हज़रतगंज को कार्यालय प्रयोजन से आवासीय हेतु भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया कि चूंकि महायोजना में भूमि का उपयोग कार्यालय है। फ्री-होल्ड किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार पूर्ण धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाये।
अनुपूरक विषय स0: 8	अलीगंज योजना से गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक विषय स0: 9	क्लार्क अवध होटल के कम्पाउन्ड में स्वीमिंग पूल एवं चेन्ज रूम बनाये जाने की अनुमति से सम्बन्धित।
निर्णय :	निर्णय लिया गया कि पहले पूर्व में स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्धारित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जावे तद्उपरान्त निर्मित भवन के परिवर्धन पर विचार किया जाये।
अनुपूरक विषय स0: 10	लखनऊ नगर की भविष्य की जलापूर्ति हेतु अन्डर-ग्राउन्ड वाटर के अध्ययन से सम्बन्धित।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
अनुपूरक विषय स0: 11	गाजियुद्दीन हैदर कैनाल के ऊपर एलीवेटेड एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किये जाने से सम्बन्धित।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक विषय स0: 12 गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड में भवन संख्याः 3/140 का शेष दण्ड ब्याज माफ़ करने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 25 प्रतिशत दण्ड ब्याज और माफ़ कर दिया जाये।

[एम.ए.ए.खान]
सचिव

[अनिल कुमार गुप्ता]
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त

[प्रीतम सिंह]
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः सिन्डर्स डम्प आलमबाग़ में अन्तर्जिला बस टर्मिनल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

आख्याः सिन्डर्स डम्प योजना आलमबाग़ में बस टरमिनल बनाये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम से पत्र व्यवहार लगभग दस वर्षो से होता आ रहा है। समय-समय पर विभिन्न प्रस्तावों पर विचार होता रहा है। शासन स्तर पर भी इस सम्बन्ध में बैठकें होती रहीं। कैसरबाग़ एवं चारबाग़ में स्थित बस स्टैन्ड को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो गया था क्योंकि वहाँ पर टैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण बस टरमिनल का निर्माण सम्भव नहीं हो पाया।

2. विगत एक वर्ष में माननीय परिवहन मन्त्री जी के स्तर पर बस टरमिनल के निर्माण हेतु समय-समय पर बैठकें होती रही एवं विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श होता रहा। दिनांक 23.8.1994 को माननीय परिवहन मन्त्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें इस योजना के लिये प्राइवेट बिल्डर्स से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के क्रम में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्राइवेट बिल्डर्स से कनसेप्चुअल प्लान्स दिनांक 31.10.94 तक माँगे गये। केवल एक प्रस्ताव मे0 पुष्पा बिल्डर्स, नई दिल्ली व्दारा प्रस्तुत किया गया।

3. माननीय परिवहन मन्त्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.94 को हुई बैठक में मे0 पुष्पा बिल्डर्स व्दारा कनसेप्चुअल प्लान के आधार पर प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया। प्रेजेन्टेशन के समय माननीय परिवहन मन्त्री जी, सचिव, आवास, आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, परिवहन आयुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0सड़क परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपरोक्त प्रेजेन्टेशन एवं विचार विमर्श के उपरान्त दिनांक 18.11.94 को माननीय परिवहन मन्त्री जी ने उपरोक्त अधिकारियों एवं प्रबन्धक, मे0 पुष्पा बिल्डर्स के साथ मौके का निरीक्षण किया।

4. उपरोक्त तिथि को मौके का निरीक्षण करने एवं विचार विमर्श के उपरान्त मे0 पुष्पा-बिल्डर्स व्दारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं कनसेप्चुअल प्लान को उ0प्र0सड़क परिवहन निगम की आवश्यक्ताओं के अनुरूप संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 13.1.1995 को सायें 8.00 बजे माननीय परिवहन मन्त्री जी की अध्यक्षता में उपरोक्त प्रकरण पर विचारार्थ पुनः बैठक हुई जिसमें मे0 पुष्पा बिल्डर्स व्दारा प्रस्तुत कनसेप्चुअल ले-आउट प्लान पर विचार-विमर्श किया गया तथा विचारोपरान्त संशोधित कनसेप्चुअल ले-आउट प्लान को सम्बन्धित अधिकारियों की सहमति से अनुमोदित किया गया।

5. सड़क से मिले हुए जिस स्थल पर काम्पलेक्स का निर्माण किया जाना है उसके एक ओर बिल्डर व्दारा सड़क चौड़ी की जायेगी एवं दूसरी साइड के लिये यह निर्णय लिया गया कि अधीक्षण अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 मौके पर दिखवा लें कि उसे चौड़ा किया जाना सम्भव है।

क्रमशः--------

6· उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रयोग की जाने वाली भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल 12·5 एकड़ है । जो कनसेप्चुअल ले-आउट प्लान अनुमोदित किया गया है उसके अनुसार भूमि का प्रयोग निम्नवत् किया जाना है:-

﴾1﴿ बस अड्डे हेतु	6·1 एकड़
﴾2﴿ ग्रुप-हाउसिंग हेतु	3·0 एकड़
﴾3﴿ व्यवसायिक प्रयोग हेतु	3·4 एकड़

यहाँ पर यह भी उल्लेख करना है कि यह योजना सरदारी खेड़ा के सामने स्थित है। सरदारी खेड़ा में जिलाधिकारी व्दारा निर्धारित भूमि की दर रू0 90/- प्रति वर्ग फुट है। 30 फुट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थल होने पर 10 प्रतिशत अधिक लगाये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार इस भूमि की दर रू0 99/- प्रति वर्ग फुट आती है।

उपरोक्त तीनों प्रयोगों हेतु भूमि की दर एवं धनराशि की गणना निम्न प्रकार की गई है:-

प्रयोग	भूमि की मात्रा	दर प्रति व0फु	धनराशि ﴾लाख﴿
1- बस टरमिनल	6·1 एकड़	99/-	263·06
2- ग्रुप-हाउसिंग	3·0 एकड़	99/-	129·37
3- व्यवसायिक	3·40 एकड़	198/-	293·25

7· बस अड्डे हेतु जो 6·1 एकड़ भूमि प्रस्तावित है उसमें भूतल पर बस अड्डे का कार्यालय बनाया जायेगा, उसके ऊपर अन्य कार्यालय प्राविधानित हैं। मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा बताया गया कि चूंकि भूतल का उपयोग बस अड्डे के रूप में किया जायेगा, अतः भूमि की धनराशि सर्किल रेट के आधार पर ली जाये।

प्राधिकरण कृपया उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्णय लेने का कष्ट करें:-

﴾1﴿ यदि अनुमोदित कनसेप्चुअल प्लान के अनुसार पूरी योजना एकत्रित﴾इन्टीग्रेटेड﴿ रूप से क्रियान्वित की जाती है तो बस अड्डे पर निर्माण होने का व्यय भार पूर्ण भूमि जो कि 12·5 एकड़ है, पर आयेगा जिसकी कीमत रू0 685·68 लाख उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम व्दारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को देय होगी।

﴾2﴿ दिनाँक 7·2·95 को माननीय परिवहन मन्त्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अध्यक्ष, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम व्दारा यह मत व्यक्त किया गया कि यदि ल0वि0प्रा0 व्दारा 6·10 एकड़ भूमि उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम को उपलब्ध कराई जाये तो उसकी धनराशि उ0प्र0रा0स0प0निगम व्दारा अदा कर दी जायेगी। यह कुल देय धनराशि रू0 263·06 लाख होगी। यहाँ

पर यह आवश्यक हो जायेगा कि अन्य भूमि 12.5 एकड़ में से जो शेष रह जाती है उसपर बिल्डर्स अथवा उ0प्र0रा0स0प0निगम का कोई अधिकार नहीं होगा तथा बिल्डर को बस अड्डा बनवाने हेतु स्वयं व्यय करना होगा। उसका व्ययभार बस अड्डे के ऊपर बनने वाले कार्यालयों के टावर पर ही पड़ेगा जिसकी सम्भावना क्षीण है परन्तु उ0प्र0रा0स0प0निगम यदि उक्त व्यवस्था को चाहता है तो उसमें ल0वि0प्रा0 को कोई हानि नहीं है। इस सम्बन्ध में ल0वि0प्रा0 के निर्णय से उ0प्र0रा0स0प0निगम को अवगत कराना आवश्यक है क्योंकि समस्त भूमि का भू-उपयोग बस टरमिनल है। अतः कनसेप्चुअल प्लान के तहत 3.00 एकड़ ग्रुप-हाउसिंग तथा 3.40 एकड़ व्यवसायिक भू-उपयोग करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अपेक्षित है।

विषय:- श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल एवं श्री हर प्रसाद अग्रवाल को अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या- डी-104/पी सेक्टर-"पी" के स्थान पर गोमती नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बंध में।

श्री शिव प्रसाद अग्रवाल को अलीगंज योजना में उपरोक्त वर्णित भूखण्ड दिनांक 10.6.83 को आवंटित किया गया था। दिनांक 23.3.90 को श्री शिव प्रसाद अग्रवाल का देहान्त हो जाने के बाद उनके वारिस श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल एवं श्री हर प्रसाद अग्रवाल द्वारा लगातार उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री अपने पक्ष में कराये जाने के लिये निवेदन किया जाता रहा है।

प्रश्नगत भूखण्ड से सम्बंधित रिकार्ड का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री अन्य व्यक्ति के नाम पूर्व में ही करायी जा चुकी है जबकि श्री शिव प्रसाद अग्रवाल द्वारा पूर्ण धनराशि समय से ही प्राधिकरण में जमा करा दी थी। अतः श्री अग्रवाल को वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है किन्तु अलीगंज योजना में वर्तमान में कोई भूखण्ड रिक्त नही है। पक्ष द्वारा अलीगंज योजना अथवा गोमती नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रकट की है परन्तु चूंकि एक योजना से दूसरी योजना में स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जा सकता है। अतः श्री अग्रवाल को उनको पूर्व में अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में एक भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 फरवरी, 1995
का कार्यवृत्त

उपस्थितः

1.	श्री प्रीतम सिंह	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2.	श्री विजय शर्मा	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
3.	श्री हरिश्चन्द्र	आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
4.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5.	श्री राजीव खेर	जिलाधिकारी, लखनऊ।
6.	कु0 आराधना जौहरी	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग।
7.	श्री पी0 के0 झा	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
8.	श्री यू0सी0दास	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
9.	श्री पी0 के0 पाण्डेय	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ।

=x=x=x=x=x==x=x=x=x=

अन्य उपस्थित

1.	श्री एम.ए.ए.खान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

क्रमशः...........

विषय सँख्याः 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 29 दिसम्बर, 94 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णयः — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 29 दिसम्बर, 1994 के कार्यवृत्त की पुष्टि इस सँशोधन के साथ की गई कि चूकिँ विषय सँख्याः 9 पर अकिँत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था अतः कार्यवृत्त में अकिँत"प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया" के स्थान पर "कृत कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ" अकिँत किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त विषय सँख्याः 22 के अर्न्तगत जो कि गोमती नगर योजना के अर्न्तगत स्थित भूमि को अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में गठित उपसमिति के सम्बन्ध मे है, में आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवँ विकास परिषद ने अवगत कराया कि गठित उपसमिति मे उ0प्र0आवास एवँ विकास परिषद का प्रतिनिधि भी होना चाहिये। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गठित उपसमिति में आवास आयुक्त अथवा उनके व्दारा नामित प्रतिनिधि को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

विषय सँख्याः 2 — सिन्डर्स डम्प योजना, आलमबाग में अर्न्तजिला बस टरमिनल के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णयः — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूकिँ उक्त स्थान पर 10 वर्ष पूर्व बस टरमिनल बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था, तब से शहर का काफी विस्तार हो गया है अतः पहले इस बात पर विचार आवश्यक है कि अब उक्त स्थान पर बस टर्मिनल उपयुक्त है अथवा नहीं। उक्त प्रयोजन हेतु मुख्य नगर एवँ ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति गठित गई जिसमें निम्न विभागों के प्रतिनिधि रखें जाने का निर्णय लिया गयाः-

1. ट्रान्सपोर्ट प्लानर (कनसलटैन्ट)
   - सैन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्युट,
2. लोक निर्माण विभाग,
3. परिवहन आयुक्त/ उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम।

4. लखनऊ विकास प्राधिकरण,
5. नगर निगम, लखनऊ,
6. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

उक्त समिति निम्न बिन्दुओं पर अपनी विशेषज्ञ राय एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेगीः-

§।§ प्रश्नगत स्थल पर अर्न्तजिला बस टरमिनल का निर्माण किया जाना चाहिये अथवा नहीं।

§।।§ जनसंख्या वृध्दि एवं बढ़ती हुई व्यवसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए अर्न्तजिला बस टरमिनल का निर्माण किस स्थल पर अधिक उपयुक्त रहेगा।

§।।।§ वर्तमान स्थल जो बस टरमिनल हेतु महायोजना में प्राविधानित है, का भू-उपयोग क्या रखा जाये।

इसके अतिरिक्त उक्त समिति एन0सी0आर0 पैटर्न पर स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में अध्ययन करके विस्तृत रूप-रेखा भी प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्याः 3 श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल एवं श्री हर प्रसाद अग्रवाल को अलीगंज योजना में आवन्टित भूखण्ड संख्याः डी-104/पी, सेक्टर पी के स्थान पर गोमती नगर योजना मे वैकल्पिक भूखण्ड आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

§ एम.ए.ए.खान §
सचिव

§ अनिल कुमार गुप्ता §
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त

§ प्रीतम सिंह §
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल
लखनऊ